राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक– एफ.16(29)भू.रू / ग्रामीण / राजस्व / 08 दिनांक:

संपरिर्वन आदेश

उप शासन सचिव राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक–प0 (274) राज. /भू0रू0/2008 दिनांक 27.08.09 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में **आवेदक आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील, नीमकाथाना** की खातेदारी में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 13 के अन्तर्गत संपरिवर्तन / नियममितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील नीमकाथाना
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम पाटन ग्राम पंचायत, पाटन तहसील नीमकाथाना
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल हैक्टेयर में	:	ख. नं. 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	ख. नं. 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण अर्थात 5000 वर्गमीटर
	टिप्पणी:– (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति सलग्न है)	:	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तित का प्रयोजन	:	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रूपये 6.79 प्रति वर्गमीटर की दर से 5000 वर्गमीटर भूमि के 33950/– रू.
6.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियत की राशि	:	1. चलान नं. 124 दिनांक 27.9.08 राशि रूपये 25000/– 2. चलान नं. निल दिनांक 24.12.09 राशि रूपये 8677/– 3. चालान नं. 67 दिनांक 24.05.10 राशि रूपये 5443/–
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	चालान नं. 124 दिनांक 27.09.08 राशि रू. 14440/ जमा, (वास्तविक देय शास्ति राशि 196140/–) 19610–14440 शेष राशि 5170/– रू. कॉलम नं. 6 में अंकित संपरिवर्तन शुल्क में शामिल है।
8.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	शुन्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	:	हां, 722 वर्ग मीटर
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

(31)

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी एवं पंहुच मार्ग सुनिश्चित किया जावेगा। मार्गाधिकार हेतु वांछित भूमि का राज्य पक्ष में निःशुल्क समर्पण करवाया जायेगा।
2. यदि प्रार्थी संस्था द्वारा इंडियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
3. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं जिस विभाग द्वारा मान्यता दी जानी है, उसके मापदण्डानुसार निर्माण कराना होगा।
4. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक: प.6 (6)राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
5. संपरिवर्तन किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत बच्चों के खेल मैदान एवं पार्किंग वाहन आदि (सुविधाओं)के लिए खुला छोड़ना होगा।
6. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
7. **उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।**

sd/-
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

कमांकः–एफ.16(29)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/08/ 2734-42 दिनांकः– 23.6.2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण)विभाग,राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,जयपुर संभाग,जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी,जिला राजस्व लेखाकार,कलेक्ट्रेट,सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना
5. तहसीलदार,नीमकाथाना
6. सरपंच,ग्राम पंचायत,पाटन पं0स0नीमकाथाना
7. **आशा देवी शिक्षण संस्थान, कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर**
8. रक्षी पत्रावली

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर,सीकर)

1627
28/6/10

Rev
28-6-10

कार्यालय तहसीलदार नीमकाथाना
कमांक/राजस्व/10/ 1762 दिनांक :- 1-7-10
पटवारी हल्का पाटन को लेजकर लेख है कि आदेश की पालना नियमानुसार की जाकर पत्रावली से अवगत करावे।

तहसीलदार
नीमकाथाना (सीकर)

SECRETARY
Asha Devi Shikshan Sansthan
Kotra Neem Ka Thana (Sikar)